

27/12/22

पत्रावली भ्रष्ट पैदा हुई। वहीं राष्ट्रीय उपस्थिति। वहीं
राष्ट्रीय के साथ हुई। जोस तालक के सिद्धांत जल्द ही
स्थापना में सुझाव दिया। जोस भी जानता है। यह भी है।
पानक उपलब्ध होने पर राष्ट्रीय पत्रावली भी जोस पत्रावली
विषय सुझाव लेकर उपस्थित है।

①

सुभाष चंद्र बोस, गुजरात



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (वाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

संख्या: 147/2022

प्रार्थीगण :-

1. नरपत पुत्र सुजाराम
2. गणपत पुत्र सुजाराम
3. हनुमान पुत्र सुजाराम
4. गोमती पत्नी सुजाराम
5. तारों पत्नी अचलाराम
6. शारदा पुत्री डूंगराराम
7. कंचन पुत्री डूंगराराम
8. केवलाराम पुत्र डूंगराराम
9. तुलछाराम पुत्र डूंगराराम
10. पार्वती पुत्री डूंगराराम प्रार्थीगण संख्या 7 ता 10 नावालिंग वली माता गोमती पत्नी डूंगराराम
11. गोमती पत्नी डूंगराराम कौम माली साकिन राठौड़ों की ढाणी उर्फ मालियों मालियों की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला वाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. केसराम पुत्र रूडाराम
2. छोगाराम पुत्र रूडाराम
3. भूपाराम पुत्र रूडाराम
4. मोहनराम पुत्र रूडाराम
5. तेजाराम पुत्र पूनमाराम
6. भवाराम पुत्र पूनमाराम
7. भानाराम पुत्र पूनमाराम
8. वगताराम पुत्र तिलोकाराम जाति माली
9. दुर्गसिंह पुत्र मोडसिंह जाति राजपूत साकिन राठौड़ों की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी
10. प्रतापाराम पुत्र रूडाराम कौम रवारी
11. कालूराम पुत्र सुजाराम कौम विशनोई साकिन मोटी ढाणी
12. रमेश कुमार पुत्र हरिलाल जोशी निवासी गुडामालानी तहसील
13. तहसीलदार गुडामालानी जिला वाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी

--: आदेश :-

दिनांक :- 27.12.2022


प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरुद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री चिमनसिंह चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2078 (वर्ष 2021) से स्थाई सरहद मौजा राठौड़ों की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 1377/, 1377/4, 1377/5,

1443/1 रकबा कमशः 0.8822, 0.1457, 0.2266, 1.0036 हैक्टेयर एवं ग्राम मोटी ढाणी के खेत खसरा संख्या 1047/2, 1050/1 रकबा 0.8094, 1.0926 हैक्टेयर का अवलोकन किया, जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माटे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पड़ोसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि राठौड़ों की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 1377/, 1377/4, 1377/5, 1443/1 रकबा कमशः 0.8822, 0.1457, 0.2266, 1.0036 हैक्टेयर एवं ग्राम मोटी ढाणी के खेत खसरा संख्या 1047/2, 1050/1 रकबा 0.8094, 1.0926 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 1000/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 27/12/20 को खुले न्यायालय सुनाया गया।


(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी